



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270492
CG-DL-E-26022026-270492

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02]
No. 02]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2026

आ.अ. 02(अ).— यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 26 फरवरी, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

क्र. सं.	राज्य (1)	भरे जाने वाले स्थान (2)
1.	महाराष्ट्र	7
2.	ओडिशा	4
3.	तमिलनाडु	6
4.	पश्चिम बंगाल	5
5.	असम	3

6.	बिहार	5
7.	छत्तीसगढ़	2
8.	हरियाणा	2
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10	तेलंगाना	2

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख - 05 मार्च, 2026 (गुरुवार)

(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख - 06 मार्च, 2026 (शुक्रवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 09 मार्च, 2026 (सोमवार)

(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा - 16 मार्च, 2026 (सोमवार), और

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा - 20 मार्च, 2026 (शुक्रवार), और

(आ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

[फा. सं. 318/रा.स.-मल्टी/2026(1)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

**ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th February, 2026

O.N. 02(E).— Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 26th February, 2026, been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of member(s) specified against that State in column (2) of the said TABLE:

TABLE

S.No.	Name of State	No. of members
	(1)	(2)
1.	Maharashtra	7
2.	Odisha	4
3.	Tamil Nadu	6
4.	West Bengal	5
5.	Assam	3

6.	Bihar	5
7.	Chhattisgarh	2
8.	Haryana	2
9.	Himachal Pradesh	1
10.	Telangana	2

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission hereby-

(A) appoints, with respect to the said election;

- (a) the 05th March, 2026 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) the 06th March, 2026 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 09th March, 2026 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 16th March, 2026 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 20th March, 2026 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above-mentioned States on the date specified above for the election.

[F. No. 318/CS-Multi/2026(1)]

By Order,
SUMAN KUMAR DAS, Secy.